घोषणा पत्र DECLARATION FORM

फार्म-1/Form-1



घोषणा पत्र कर्मचारी द्वारा भरा जाएगा। फार्म के साथ पोस्टकार्ड आकार के दो फोटोग्राफ भी लगाए जाने चाहिए। फार्म भरने से पहले पीठ गुष्ठ गर दी गई हिदायतों को भली-भांति यद तैना चाहिए। यह फार्म निःशुल्क है।

To be filled by employee after reading instruction overleaf. Two Postcard Size phtographs to be attached with the

बीमाकृत व्यक्ति के विवरण

(A)	INSURED	PERSON'S	PARTICULARS
-----	---------	----------	-------------

नियोजक के विवरण (ख)

(B)	EMPL	OY	ER'S	PARTICU	ARC

1. बीमा संख्या√Insurance No	,		*************	***************************************	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	9. नियोजक की कूट संब	SI CITO FAR	HICULA	HS	
2. नाम (स्पष्ट अक्षरो में)	RA	JAI	V	KUMI	AR	Employer's Code	No.			
3. पिता/पति का नाम Father's/Husband's Name	नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name in block letters पेता/पति का नाम -ather's/Husband's Name ाम की तिथि Day Month Year प्रास्थित अविवाहित अविवाहित Marital Status M/U/W 0 8 0 1 8 6 6.िलंग/Sex पु.म./M-F तैमान पता/Present Address कोड Code कीन नम्बर/ई-मेल पता/ कार्यालय	10. नियुक्ति की तारीख Date of Appointm		दिन ,0हर)	महीना Month	वर्ष - Year 2016				
4. जन्म की तिथि Date of Birth	दिन Day	Month		प्रास्थिति Maritai	अविवाहित विधवा	11. नियोजक का नाम औ	7 1000000000000000000000000000000000000	Address		yer
7. वर्तमान पताः/Present Addre		8. स्या \	भी पत्त १ - %	Permanent 2 D/2		12. यदि पहले नियाजन म in case of any previo (क) पिछली बीमा संख्या (a) Previous Ins. No.	रहें हैं तो कृपया ous employmen	निम्नालाखत ! please fill	ब्योर द्यांजए up the details	as under.
भिन कोड Pin Code देतीफोन नम्बर/ई-मेल पता/		Pin (Ma sis C	Lavir Huoli		(ख) नियोजक कूट संख्या (b) Employer's Code (ग) नियोजक का गाम व है	रता		-	
गाखा कार्यातय Brach Office		औष	धालय	***************************************		(c) Name & Address (टेलीफोन नम्बर/ई-मेल पता				***************************************
मृत्यु की स्थिति में नकद हितला	म के भु	गतान के	लेए क	रा.बी. अधिनिय	H 1948 187		- G-III all all all all all all all all all	55	••••	

(c) Details of Nominee u/s 71 of ESI Act 1948/Rule-56(2) of ESI (Central) Rules, 1950 for payment of cash benefit in the event of death. ो घारा 71/क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 56(2) के अंतर्गत नामित के ब्यौरे।

	"li"t/Name	Transport of the same of the s	T T WAYS SET SHOULDEN
		नातेदारी/Relationship	77777 (6 2) 2)
-	. Ulbresh singh	Ealbaid	पुता/Address
		-ather	The state of the s
-	र्षे एतद्वारा घोषणा करता/करती हं कि भेरे उत्तर स्ट		- Some AS Above

में एतद्द्वारा योपणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण भेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं अपने परिवार के सदस्यों में हुए परिवर्तन की सुचना

I hereby decalare that the particulars given by me are correct to the best of my knowledge and belief. I undertake to intimate the corporation any

नियोजक के प्रतिहस्ताक्षर Counter signature by the employer

सील सहित हस्ताक्षर Signature with seal

(घ) बीमाकृत व्यक्ति के परिजनों का विवरण (D) Family Particulars of Insured person

क्र.सं. SI. No.	Dinech Cinch	फार्म भरने की तारीख को आयु-जन्म-तारीख Date of Birth/Age as on date of filling form	कर्मचारी के साथ नातेदारी Relationship with the Employee	रहे ! Wheth	नके साथ रह ई? बताएं er residing him/her.	का स्य If' No' sta	तो आवास ान दशीएं te Place of dence
3: 4:5:	Asha Devi Chemba Sinth Devinsh Rai Charima	50	tether wife Sori Daughter	हॉ/Yes १९६ ५९६ ५९६ १/९५	नहीं/No	নভা কলে Town	ਹਵਜਟe राज्य∕State
	7 A 5 A					***************************************	

क.रा.बी. निगम अस्यायी पहचान पत्र

ESI Corporation Temporary Identity Card

(नियुक्ति की तारीख से 3 महीने तक वैध) (Valid for 3 month from the date of appointment)

ाखा कार्यालय ranch Office	7			
बोमा संख्या∕Insi No.	नियुक्ति की तारीख/Date of appointment			
शाखा कार्यालय Branch Office	जीपधालय Dispensary			
नियोजक की कुट संख्या व पता Employer's Code No. & Address				

फोटो के लिए स्थान (Space for photograph)

ਹੈਬਜਾ Validity तारीख Dated

त्तींसर/अंगूठे का निशान TJ. of LP.

सील सहित शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर Signature of B.M. with seal

बोमाकृत व्यक्ति के स्ताविध्अंगूटा निशान Signature /T.I.of IP.

अनुदेश

INSTRUCTIONS

- फार्म-1 का प्रेषण क.रा.बी. (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 11 व 12 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। Submission of Form-I is governed by regulation 11 & 12 of ESI (General) Regulations, 1950
- 2. "कुटुम्ब" से किसी बीमाकृत व्यक्ति के निम्निलिखित सभी अथवा कोई नातेदार अभिप्रेत है:-अर्थात्:- (1) विवाहिती (2) बीमाकृत व्यक्ति पर आश्रित कोई धर्मज या दत्तक अवयस्क आश्रित बालक, (3) कोई बालक जो बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जिनों पर पूर्णतः आश्रित है तथा जो (क) शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उनके 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक (ख) कोई अविवाहित पुत्री, (4) कोई बालक जो किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता या चोट के कारण शिथिलांग है तथा शिथिलांगता रहने तक बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जिनों पर पूर्णतः आश्रित है, (5) आश्रित माता-पिता, (ब्योरे हेतु क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड 11 को देखें)।

"Family" means all or any of the following relatives of an Insured Person namely:-

(i) a spouse (ii) a minor legitimate or adopted child dependant upon the l.P.; (iii) a child who is wholly dependant on the earnings of the l.P. and who is (a) receiving education, till he or she attains the age of 21 years (b) an unmarried daughter; (iv) a child who is infirm by reason of any physcial or mental abnormality or injury and is wholly dependant on the earnings of the l.P. so long as the infirmity continues; (v) dependant parents (Please see Section 2 clause 11 of the ESI Act 1948 for details.

- उ पहचान-पत्र अहस्तान्तरणीय है। Identity Card is Non-Transferable.
- पहचान-पत्र के गुम होने की स्थिति में नियोजक/शाखा प्रबंधक को तत्काल सूचित किया जाए।
 Loss of Identity Card be reported to Employer/Branch Manager immediately.
- 5. किसी प्रकार की गलत सूचना देने की स्थिति में क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा-84 के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। Submission of false information attracts penal action Under Section 84 of ESI Act. 1948.
- 6. नई नियुक्ति की स्थिति में भली-भाँति भरा हुआ यह फार्म नियुक्ति के दस दिन के भीतर संबंधित शाखा कार्यालय में अवश्य ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विलम्ब की स्थिति में नियोजक के विरुद्ध धारा-85 कें तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

 This form duly filled in must reach the concerned Branch Office within 10 days of appointment of an Employee. Delay attracts penal action under Section 85 of the Act, against employer.
- 7. बीमाकृत व्यक्ति होने के नाते आप व आपके परिवार के आश्रितजन चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर सकेंगे। अन्य नकद हितलाभ हैं, (1) बीमारी हितलाभ (2) अस्थायी अपंगता हितलाभ (3) स्थायी अपंगता हितलाभ (4) आश्रितजन हितलाभ (5) प्रसूति हितलाभ (महिला कर्मचारी के लिए)। As an insured person you and your dependant family membes are entitled to full medical care. The other benefits in cash include (1) Sickness Benefit (2) Temporary Disablement benefit (3) Permanent disablement Benefit (4) Dependants benefit and (5) Maternity Benefit (in case of woman employees) subject of fulfillment of contributory and itions.
- अधिक जानकारी के लिये कृपया निगम के वेबसाइट को देंखें या शाखा कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
 For more details please contact website of ESIC at www. esic.org. in. or contact Regional Office or Branch Office.

	3
	केवल शाखा कार्यालय में प्रयोग हेतु For Branch Office Use only
1.	वीमा संख्या आवंटन की तारीख : Date of allotment of Ins. No. :
2.	अस्थायी पहचान पत्र जारी करने की तारीख : Date of Issue of T.I.C. :
3.	औषधालय का नाम/संख्या : Name /No. of Dispensary :
4.	क्या अन्योन्य चिकित्सा व्यवस्या उपलब्ध है? यदि हां, तो उल्लेख करें : Whether reciprocal Medical arrangements involved. If yes, please indicate :
	शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर Signature of Branch Manager

那.村. SI. No.	नाम Name	फार्म भरने की तारीख को आयु-जन्म-तारीख Date of Birth/Age as on date of filling form	कर्मचारी के साथ नातेदारी Relationship with the Employee	क्या उनके साथ रह रहे हैं? बताएं Whether residing with him/her.		यदि नहीं, तो आवास का स्थान दर्शाएं If No, state Place of Residence	
			······································	हाँ.Yes	नहीं∠No	कस्बा⁄ Town	राज्य/State
	······································						
			······································				
					-		
